न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

प्र.सं. 11/2021
जीसीएमएस : 2021/155

1. मेहरचन्द पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी ठण्डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. हजारीराम पुत्र मामराज जाट निवासी ठण्डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज0
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर

अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 251क(1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–
1. श्री नरेन्द्र भादू, वकील प्रार्थी
2. श्री दिनेश जोशी, वकील अप्रार्थी सं. 1

दिनांक : 03.08.2021

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवेदक, उसकी माता मामकौरी व भाई राजेन्द्र कुमार की भूमि चक 22 एनपी के मु.नं. 25 प.नं. 179/327 के कि.नं. 11 ता 25 की 3.036है. नहरी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी सं. 1 की भूमि चक 22 एनपी के मु.नं. 25 प.नं. 179/327 के कि.नं. 1 ता 10 की 2.530है. भूमि में से कि.नं. 1–10 प्रत्येक में 0.025है. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 द्वारा दिनांक 28.06.2021 को न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी मेहरचन्द को उसके रकबा में आने जाने के लिए अपनी भूमि कि.नं. 1–10 में 0.019–0.019है. भूमि रास्ता के लिए दे दी हैं। उसके बदले में अपनी हकरषि कर ली हैं। यदि जमाबंदी में उक्त भूमि बतौर रास्ता दर्ज की जाती हैं तो उसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं हैं। वकील प्रार्थी ने चित्रप्रति बैयनामा दिनांक 19.07.2021 द्वारा मेहरचन्द बहक हजारीराम पुत्र मामराज चक 22 एनपी खाता सं. 106 मु.नं. 9 प.नं. 178/325 के कि.नं. 23/1 की 0.025है. भूमि की पेश की।

अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने के निवेदन करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी की सहमति अनुसार रास्ता में आई भूमि के बदले में अप्रार्थी को भूमि जरिए बैयनामा दी जा चुकी हैं। जिसकी प्रति उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा रास्ता की भूमि के बदले में प्रार्थी से मुआवजा के तौर पर भूमि प्राप्त कर ली हैं। रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं तो उनहें कोई एतराज नहीं हैं। वकील उभयपक्ष ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सहमति अनुसार अप्रार्थी की भूमि चक 22 एनपी के मु.नं. 25 प.नं. 179/327 के कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में 0.019है. कुल 0.038है. गै.मु. रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया।

बहस वकील उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। उक्त विवेचन एवं पक्षकारान की आपसी सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत 251ए आरटीए स्वीकार कर चक 22 एनपी तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 25 प.नं. 179/327 के कि.नं. 1 व 10 प्रत्येक में 0.019है.–0.019है. गै.मु. रास्ता स्वीकृत किया जाता हैं।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 03.08.2021 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arpita Soni
Date: 2021.09.10 15:24:20 IST
Reason: SelfAttested

अर्पिता
(अर्पिता सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

Scanned with CamScanner